तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
17/1/18	पत्रावली पेश। पक्षकारान उपस्थित। बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते निर्णय दिनांक 23/1/18 को पेश हो।
23/1/18	पत्रावली पेश। पक्षकारान उप०। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थना पत्र प्रार्थिया आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय अलग से लिखवाया जाकर शामिल फाईल किया गया। पत्रावली नम्बर से काम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। आदेश बरसर इजलास सुनाया गया।

Web Copy Not Official

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारीः—सुरेन्द्र सिहं पुरोहित, आर.ए.एस.
विविध राजस्व संख्याः—244 / 2017 / 251—ए आरटीए

1. साहबराम पुत्र श्री ख्यालीराम
2. संतोष ----पुत्रीयां श्री जगदीश
3. कमलेश

जाति जाट, निवासीगण चक 15 एलएलडब्ल्यू''बी'', तहसील व जिला हनुमानगढ़—

——प्रार्थीगण——

बनाम

1. गोपाल सिहं पुत्र श्री भूर सिहं, जाति राजपूत, निवासी जोड़किया, तहसील व जिला हनुमानगढ़—
2. तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़, तहसील व जिला हनुमानगढ़—
3. रामप्रताप ----पिसरान श्री प्रेमचन्द, जाति जाट, निवासीगण चक 15 एलएलडब्ल्यू ''बी'' तहसील व जिला हनुमानगढ़—
4. विनोद
5. रोहिताश

——अप्रार्थीगण——

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 251—ए (1)
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित 1. श्री लालचन्द वर्मा, अधिवक्ता—प्रार्थीगण
2. श्री सुरेन्द्र कुमार सहारण—अधिवक्ता—अप्रार्थी सं0 1
3. अप्रार्थीगण संख्या—3 से 5 स्वयं उपस्थित

आदेश दिनांकः— 23|1|2018

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 251—ए (1) आरटीए प्रस्तुत कर यह कथन की चक 15 एलएलडब्ल्यू ''बी'' तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या 65 / 12 में पत्थर नम्बर—108 / 240 (35) के किला नम्बर—11, 16 से 25, पत्थर नम्बर—107 / 240 (36) के किला नम्बर—2 से 4, 6 से 25, पत्थर नम्बर—107 / 241 (38) किला नम्बर—1, 10, पत्थर नम्बर—108 / 241 (39) के किला नम्बर—1 से 4 तादादी 10.120 हैक्टेयर भूमि है। उक्त संयुक्त खाता की भूमि में प्रार्थी संख्या—1 के नाम 3.795 हैक्टेयर व प्रार्थीगण संख्या—2 व 3 की 1.265 हैक्टेयर कुल 5.060 हैक्टेयर भूमि घरूबंटवारा अनुसार पत्थर नम्बर—108 / 240 (35) के किला नम्बर—21, 22, पत्थर नम्बर—107 / 240 (36) के किला नम्बर—11, 12, 13 में 0.126 है0, 16 से 25, पत्थर नम्बर—107 / 241 (38) के किला नम्बर—1—10 व पत्थर नम्बर—108 / 241 (39) के किला नम्बर—1 से 4 कब्जा काश्त में है। प्रार्थीगण ने अपने कब्जा काश्त की उक्त भूमि का नजरी नक्शा प्रस्तुत करते हुये अप्रार्थी संख्या—1 की कृषि भूमि खाता संख्या—17 / 18 के पत्थर नम्बर—108 / 241 (39) के किला नम्बर—5 के उतरी सीमा पर पूर्व से पश्चिम एक बिस्वा रास्ता से होते अपनी भूमि में प्रवेश करने व यह रास्ता 25 सालों से चालू होने का कथन करते हुये इस रास्ता को स्वीकृत किये जाने का निवेदन किया है तथा मौका पर यह रास्ता चालू होने के सम्बन्ध में फोटोग्राफ प्रस्तुत किये हैं।

प्रार्थना—पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थीगण को तलब किया गया। दौराने सुनवाई प्रार्थीगण ने संयुक्त खाता संख्या—65 / 212 के अन्य सहखातेदारों रामप्रताप—विनोद व रोहिताश पुत्रगण श्री प्रेमचन्द को भी पक्षकार बनाने

सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी हनुमानगढ़

Web Copy Not Official

Scanned by CamScanner

का निवेदन किया तथा यह प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण संख्या–3 से 5 के रूप में उन्हें पक्षकार बनाया गया। अप्रार्थी संख्या–1 ने जबाव प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करते हुये प्रार्थीगण द्वारा उसकी खातेदारी भूमि पत्थर नम्बर–108/241 (39) के किला नम्बर–5 के उतरी सिरे से आवागमन करने के तथ्य से इन्कार किया तथा यह कथन किया कि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या–3 से 5 की संयुक्त खाता की भूमि के लिये पत्थर नम्बर–108/240 के किला नम्बर–5–6–15–16–25 में मंजूरशुदा रास्ता है तथा इस मंजूरशुदा रास्ता से किला नम्बर–25 व 24 होकर प्रार्थीगण अपने खेत के किला नम्बर–4 में प्रवेश करते हैं। अप्रार्थी संख्या–1 ने यह भी कथन किया कि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या–3 से 5 की भूमि के चिपता हुआ पत्थर नम्बर–106/240 (37) में किला नम्बर–5–6–15–16–25 में पत्थर लाईन के साथ–साथ मंजूरशुदा रास्ता है जो प्रार्थीगण की भूमि के पत्थर नम्बर–107/240 (36) के किला नम्बर–20–21 से चिपता हुआ है। इस कारण प्रार्थीगण की संयुक्त खाता की भूमि के लिये रास्ते मौजूद होने की स्थिति में प्रार्थीगण अप्रार्थी संख्या–1 की भूमि में से किला नम्बर–5 में रास्ता की मांग नहीं कर सकते। अप्रार्थी संख्या–1 ने यह आपति भी की कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या–3 से 5 के मध्य राजस्व वाद संख्या–7/2016 शीर्षक ''रामप्रताप बनाम जोगेन्द्र सिहं आदि'' खाता विभाजन हेतु विचाराधीन है। इस राजस्व वाद में प्रार्थीगण ने जबावदावा मय काउण्टर क्लेम प्रस्तुत करते हुये अपने संयुक्त खाता में अपनी घरूबंटवारा में आई भूमि पर पत्थर नम्बर–108/240 (35) के किला नम्बर–25 व 24 में से होकर अपनी भूमि किला नम्बर–4 में प्रवेश करने का कथन किया है। इस कारण प्रार्थीगण अप्रार्थी संख्या–1 की भूमि में से रास्ता स्वीकृत करवाने का अधिकारी नहीं हैं।

प्रार्थीगण ने अप्रार्थी संख्या–1 के जबाव प्रार्थना–पत्र का जबावुल जबाव प्रस्तुत करते हुये यह कथन किये हैं कि उनके द्वारा उक्त राजस्व वाद में पत्थर नम्बर–108/240 के किला नम्बर–25 में रास्ता प्रस्तावित किये जाने का उल्लेख अवश्य किया है लेकिन मौका पर अप्रार्थी संख्या–1 की भूमि पत्थर नम्बर–108/241 (39) के किला नम्बर–5 में से ही अर्सा 25 वर्षों से यह रास्ता चालू है तथा इस रास्ता की एवज में प्रार्थीगण ने अप्रार्थी संख्या–1 को अपने कब्जा काश्त की भूमि पत्थर नम्बर–108/241 (39) के किला नम्बर–1–2–3 के दक्षिणी सिरे पर आड़ की सुविधा दी हुई है। पत्थर नम्बर–106/240 (37) के किला नम्बर–5–6–15–16–25 में कोई रास्ता विद्यमान होने व मंजूरशुदा होने के तथ्यों से इन्कार किया है।

अप्रार्थीगण संख्या–3 व 4 ने पृथक–पृथक जबाव प्रार्थना–पत्र मय काउण्टर क्लेम प्रस्तुत करते हुये यह कथन किये है कि चक 15 एलएलडब्ल्यू''बी'' के संयुक्त खाता संख्या–65/12 के लिये पत्थर नम्बर–106/240 (37) के किला नम्बर–5–6–15–16–25 में मंजूरशुदा रास्ता था। इस रास्ता को किसी भी आदेश द्वारा कभी भी बन्द नहीं किया गया परन्तु त्रुटिवश वर्तमान यह रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं हैं जिसे खुलवाने के लिये प्रार्थना–पत्र विचाराधीन है। प्रार्थीगण को पत्थर संख्या–106/240 के किला नम्बर–5–6–15–16–25 में दर्ज रास्ता को खुलवाने की कार्यवाही करनी चाहिए। इसके अलावा यह कथन किये कि राजस्व वाद संख्या–7/2016 शीर्षक ''रामप्रताप बनाम जोगेन्द्र सिहं आदि'' विचारधीन है। इस वादपत्र में प्रार्थीगण ने जबावदावा मय काउण्टर क्लेम प्रस्तुत करते समय घरूबंटवारा के अनुसार आई भूमि में आने–जाने के लिये पत्थर नम्बर–108/240 के किला नम्बर–5–6–15–16–25 में मंजूरशुदा रास्ता से किला नम्बर–25 व 24 में से होकर अपने खेत के किला नम्बर–4 में प्रवेश करने का व उक्त किला नम्बर–25 व 24 में रास्ता मंजूर करने की डिक्री किये जाने का निवेदन किया है। काउण्टर क्लेम में पत्थर नम्बर–106/240 के किला नम्बर–5–6–15–16–25 में पूर्व में दर्ज स्वीकृत रास्ते को राजस्व रिकार्ड की त्रुटि को दुरूस्त करते हुये खुलवाये जाने का निवेदन किया है।

प्रार्थीगण ने अप्रार्थी संख्या–3 व 4 द्वारा प्रस्तुत का काउण्टर क्लेम का जबाव प्रस्तुत करते हुये धारा 251–ए (1) आरटीए के अन्तर्गत संक्षिप्त प्रक्रिया होने से काउण्टर क्लेम पोषणीय नहीं होने की विधिक आपति की है तथा आदेश 8 नियम 6 सीपीसी के प्रावधानों के अनुसार यह काउण्टर क्लेम अपवर्जित किये

सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी

Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

जाने का निवेदन किया है। प्रार्थीगण ने राजस्व वाद संख्या–7/2016 में पत्थर नम्बर–108/240 के किला नम्बर–25 व 24 में से रास्ता प्रस्तावित किये जाने के तथ्य को स्वीकार किया है लेकिन अप्रार्थीगण संख्या–3 से 5 द्वारा इस मांग को सदैव ठुकरवाये जाने से अपनी अत्यधिक आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुये अप्रार्थी संख्या–1 के पत्थर नम्बर–108/241 के किला नम्बर–5 में उत्तरी सिरे पर रास्ता स्वीकृत किये जाने का निवेदन किया है।

इस प्रकरण में तहसीलदार भू0अ0 हनुमानगढ़ से रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार भू0अ0 हनुमानगढ़ ने पत्र क्रमांक–95 दिनांक 04–01–2018 के साथ पटवारी हल्का जोड़कियां की रिपोर्ट प्रेषित की है। इस रिपोर्ट के अनुसार चक 15 एलएलडब्ल्यू''बी'' के खाता संख्या–65 में प्रार्थी संख्या–1 की 3.795 हैक्टेयर प्रार्थीगण संख्या–2 व 3 की 1.265 हैक्टेयर व अप्रार्थीगण संख्या–3 से 5 की 5.060 हैक्टेयर भूमि संयुक्त खाता में होने व उनका आपसी बंटवारे व मौका पर कब्जा होने का तथ्य अंकित किया है तथा प्रार्थीगण को घरूबंटवारा में प्राप्त भूमि के लिये रास्ता उपलब्ध नहीं होने व प्रार्थीगण द्वारा इसी खाते में पत्थर नम्बर–108/241 के किला नम्बर–1 ता 4 में पगडढ़ी बनायी होने का तथ्य प्रकट किया है तथा पत्थर नम्बर–108/241 के किला नम्बर–5 की भूमि अप्रार्थी संख्या–1 के खाता संख्या–17 में दर्ज होने का तथ्य प्रकट किया है। इस रिपोर्ट में वांछित रास्ता के सम्बन्ध में स्पष्ट अभिसंशा नहीं होने पर तहसील से पुनः रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार भू0अ0 हनुमानगढ़ ने पत्र क्रमांक–187 दिनांक 10–01–2018 के साथ पटवारी हल्का जोड़कियां की विस्तृत रिपोर्ट दिनांक 10–01–2018 प्रस्तुत की है। इस रिपोर्ट के अनुसार चक 15 एलएलडब्ल्यू''बी'' के संयुक्त खाता संख्या–65/12 में प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या–3 से 5 की कुल 5 ढ़ाणियां बनी होने व आपसी बंटवारें अनुसार मौके पर कब्जा काश्त होने तथा प्रार्थीगण को घरूबंटवारा में प्राप्त भूमि के लिये आने–जाने के लिये रास्ता वर्तमान में उपलब्ध नहीं होने की रिपोर्ट की है तथा यह तथ्य भी अंकित किया है कि प्रार्थीगण ने पत्थर नम्बर–108/241 (39) के किला नम्बर–1 से 4 में पगडढ़ी बना रखी है। पटवारी हल्का की इस रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीगण व अप्राथीगण संख्या–3 से 5 का संयुक्त खाता है जिसमें रिकार्ड, नक्शा व मौका अनुसार संयुक्त खाता में सहखातेदारान को अन्य सहखातेदारान को रास्ता खाला की सुविधा देने अनुसार चक 15 एलएलडब्ल्यू''बी'' के पत्थर नम्बर–108/240 (35) के किला नम्बर–24 व 25 की दक्षिणी सींव पर दो–दो विस्वा रास्ता दर्ज किया जाना प्रस्तावित किया है।

उभयपक्षकारों की वहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण ने यह तर्क प्रस्तुत किया है कि यद्यपि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या–3 से 5 की भूमि एक ही संयुक्त खाता में है लेकिन अप्रार्थीगण संख्या–3 से 5 इस संयुक्त खाता में प्रार्थीगण को घरूबंटवारा में प्राप्त भूमि तक आवागमन की सुविधा प्रदत करने में कभी भी सहमत नहीं रहे। इस कारण प्रार्थीगण अप्रार्थी संख्या–1 की कृषि भूमि पत्थर नम्बर–108/241 के किला नम्बर–5 से होते हुये सदैव से आवागमन करते रहे हैं तथा अब अप्रार्थीगण संख्या–1 व 3 से 5 ने आपस में मिलीभगत कर किला नम्बर–5 में चल रहे रास्ता को स्थगन आदेश के वावजूद मिटा दिया है तथा वे अपनी भूमि पर रास्ता के अभाव में आवागमन करने से वंचित हो गये हैं। प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने तहसील की रिपोर्ट के मुताबिक संयुक्त खाता में से वैकल्पिक रास्ता मंजूर किये जाने में सहमति प्रकट की है। इसके विपरीत अप्रार्थी संख्या–1 के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क प्रस्तुत किया है कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या–3 से 5 परस्पर एक ही परिवार के सदस्य हैं तथा एक ही संयुक्त खाता के सहखातेदार है। इस संयुक्त खाता की भूमि पत्थर नम्बर–108/240 (35) के किला नम्बर–5–6–15–16–25 में स्वीकृत रास्ता से चिपती है तथा प्रार्थीगण ने राजस्व वाद संख्या–7/2016 में जवावदावा मय काउण्टर क्लेम प्रस्तुत करते हुये इसी स्वीकृत रास्ता से संयुक्त खाता की भूमि पत्थर नम्बर–108/240 (35) के किला नम्बर–25 व 24 में से रास्ता स्वीकृत किये जाने की मांग की है। अपने तर्कों के समर्थन में न्यायदृष्टाट आरआरटी–2014 (1) पृष्ठ 40 व आरआरटी 2016 (1) पेज 649 प्रस्तुत की है।

सहायक कलक्टर
एवं ... अधिकारी

Scanned by CamScanner

न्यायदृष्टांत आरआरटी–2014 (1) पृष्ठ 40 व आरआरटी 2016 (1) पेज 649 प्रस्तुत की है।

पत्रावली पर प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्य का अवलोकन किया व दोनों पक्षों की ओर से प्रस्तुत तर्कों पर विवेचन किया गया। चक 15 एलएलडब्ल्यू''बी'' के संयुक्त खाता संख्या–65/12 के लिये पत्थर नम्बर–108/240 (35) के किला नम्बर–5–6–15–16–25 में स्वीकृत व चालू रास्ता है। जहां तक पत्थर नम्बर–106/240 (37) के किला नम्बर–5–6–15–16–25 में अप्रार्थी संख्या–3 से 5 द्वारा रास्ता स्वीकृत होने का तथ्य प्रकट किया गया है, प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी खाता संख्या–42/48 व 36/33 में यह रास्ता किला नम्बर–5–6–15–16–25 में स्वीकृत नहीं हैं। अप्रार्थीगण संख्या–3 से 5 धारा 251–ए आरटीए के अन्तर्गत जरिये काउण्टर क्लेम इस रास्ता की प्रविष्टि को दुरूस्त करवाने के अधिकारी नहीं हैं। प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में प्रार्थीगण द्वारा बताई गई भूमि का अप्रार्थीगण ने विरोध नहीं किया है तथा तहसील की रिपोर्ट के मुताबिक भी प्रार्थीगण के कब्जा काश्त की भूमि के लिये अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं हैं। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज व फोटोग्राफ से प्रार्थीगण अपनी भूमि पर आवागमन हेतु अप्रार्थी संख्या–1 की कृषि भूमि पत्थर नम्बर–108/241 (39) के किला नम्बर–5 के उतरी सीमा का इस्तेमाल रास्ता के रूप में अवश्य कर रहे थे लेकिन हमारे विनम्र मतानुसार जब प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या–3 से 5 की संयुक्त खाता की भूमि स्वीकृत रास्ता से चिपती हुई है तथा प्रार्थीगण ने राजस्व वाद संख्या–7/2016 में प्रस्तुत जबावदावा मय काउण्टर क्लेम में इसी मंजूरशुदा रास्ता से पत्थर नम्बर–108/240 के किला नम्बर–25 में दक्षिणी सिरे पर पूर्व से पश्चिम 0.025 हैक्टेयर व किला नम्बर–24 में दक्षिणी तरफ पूर्वी कोने में 16 गुणा 13 फीट यानि 0.0025 हैक्टेयर रास्ता मंजूर किये जाने का कथन किया है तो ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण अपने ही संयुक्त खाता की भूमि में रास्ता स्वीकृत करवाने के अधिकारी हैं। प्रार्थीगण को अप्रार्थी संख्या–1 की भूमि में से रास्ता दिया जाना न्यायोचित नहीं है। उक्त विवेचन अनुसार व अप्रार्थी संख्या–1 की ओर से प्रस्तुत न्यायदृष्टान्त में प्रतिपादित सिद्वान्तों को दृष्टिगत रखते हुये प्रार्थीगण के संयुक्त खाता की भूमि में से वैकल्पिक मार्ग की सुविधा होने से प्रार्थीगण को अपने कब्जा काश्त की भूमि तक आवागमन हेतु इसी खाता के पत्थर नम्बर–108/240 के किला नम्बर–25 व 24 में से रास्ता स्वीकृत किया जाना श्रेयस्कर है।

8 अतः प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र को आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर चक 15 एलएलडब्ल्यू''बी'' के खाता संख्या–65/12 तादादी 10.120 हैक्टेयर में पत्थर नम्बर–108/240 (35) के किला नम्बर–25 में दक्षिणी सिरे पर पूर्व से पश्चिम 0.025 है0 व किला नम्बर–24 में दक्षिणी–पूर्वी कोना पर 0.002 हैक्टेयर रास्ता स्वीकृत किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़ को उक्तानुसार गैरमुमकिन रास्ता दर्ज किये जाने व मौका परयह रास्ता चालू करने के आदेश दिये जाते हैं। आदेश की पालना हेतु तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़ को आदेश की प्रति सहित आदेश जारी हो। पत्रावली निर्णय शुमार व नम्बर से कम कर दाखिल दफ्तर हो।

9 आदेश आज दिनांक 23/1/2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेन्द्र सिंह पुरोहित)
उपखण्डाधिकारी अधिकारी
हनुमानगढ
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

Web Copy, Not official

Scanned by CamScanner